न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या :– 21/2024

1. बनवारीलाल पुत्र धोंकलराम जाति नाई निवासी हाथीवाला तहः सादुलशहर

.......प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट व 136 एलआरएक्ट

निर्णय दिनांक :–13.02.24

यह प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण प्रार्थनापत्र अनुसार इसप्रकार है कि प्रार्थी के नाम से चक 2 एमजीडब्ल्युएम मु0नं0 99/20 में कुल 6.1960 है0 भूमि रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थी के उक्त भूमि विशेष आवंटन में आवंटन हुई और आवंटन की मूल पत्रावली में जाति नाई अंकित है व मूलत प्रार्थी की जाति नाई ही है सहवन से ऑनलाईन जमाबन्दी व रिकॉर्ड में नाई के स्थान पर जाति जाट अंकित हो गया है। प्रार्थी मूल पत्रावली के अनुसार जमाबन्दी व रिकॉर्ड में जाति नाई के नाम की शुद्धि करवाना चाहता है।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थनापत्र में तहसील खाजूवाला पटवारी रिपोर्ट अनुसार बल्लर चक 2 एमजीडब्ल्युएम मु0नं0 99/20 की जमाबन्दी 2074–77 के खाता सं0 95 पर बनवारीलाल पुत्र धोकलराम जाति नाई निवासी हाथवाला वि0आ0 मु0नं0 99/20 रकबा 24.10 बीघा अ0क0 दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक ना0सं0 55 मु0नं0 99/20 रकबा 24.10 बीघा अ0क0 अराजीराज से बनवारीलाल पुत्र धोकलराम जाति जाट निवासी हाथीयावाला तहः सादूलशहर वि0आ0 दिनांक 20.05.99 स्वीकृत हुआ। प्रार्थी द्वारा श्रीमान जिला अभिलेखागार कलेक्ट्रेट बीकानेर के नकल क्रमांक 14 दिनांक 02.01.24 की मूल आवंटन पत्रावली की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जिसमें आवेदनपत्र, फर्दअहकाम व संलग्न दस्तावेज में प्रार्थी की जाति नाई अंकित है एवं आवंटन आदेश में जाति जाट अंकित है। प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में जाति जाट की जगह नाई दुरूस्त करवाना चाहता है। प्रार्थी की मूल आवंटन पत्रावली में जाति नाई अंकित है व आवंटन आदेश में सहवन से जाति जाट अंकित होना प्रतीत होता है और उक्त आदेश के आधार पर हुवे नामान्तरण से जाति जाट आगे से आगे रिकॉर्ड में दर्ज हुई होगी ऐसा प्रतीत हो रहा है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को साक्ष्य/सबूत के तौर पर साबित करते हैं। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज(मूल आवंटन पत्रावली प्रमाणित प्रति) व तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर वादगत भूमि चक 2 एमजीडब्ल्युएम मु0नं0 99/20 की 6.1960 है0 के राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से दर्ज प्रार्थी की जाति जाट की जगह जाति नाई किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र धारा 88 आरटीएक्ट , धारा 136 एलआरएक्ट एवं धारा 151 सीपीसी में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुवे स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि 2 एमजीडब्ल्युएम मु0नं0 99/20 के किला नं0 1 ता 25 की 6.1960 है0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से दर्ज प्रार्थी की जाति जाट की जगह जाति नाई नियमानुसार दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),

(आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी,

(खाजूवाला)